न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

रामावतार ..... बनाम ..... तहसीलदार

मुकदमा ..... T.I ..... मु. नं० D 294 ..... वर्ष ~~2020~~ 2013

दिनांक	आज्ञा पत्र	
9/5	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 9/14 को पेश है।	
	पत्रावली पेश / अदि प्रतिवादीगण हाजिर / वादी अदि प्रतिवादी एकपक्षीय सुनी गई / वाद मुताबिक आर्डर नहीं / वाद पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया / प्रतिवादी के हितों का निर्धारण मूल वाद में पक्षकारों के पक्षों के आधार पर किया जाता है / तौराने वाद विवादित भूमि के मौके व रिकार्ड की स्थिति में परिवर्तन करने पर प्रतिवादी के हित प्रभावित हो सकते हैं तथा वाद बाहुल्यता के बढ़ने की संभावना है / विवादित भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश जारी किया जाना न्यायोचित है / अतः प्रार्थना पत्र प्रतिवादी को स्वीकार किया जाता है तथा विवादित भूमि ख.नं. 574 रकबा 0.88 हैक्टेयर के साथ खोरी डाहलाणा तहसील व जिला सीकर की भूमि पर तौराने वाद संख्या 296/2013 मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश जारी किये जाते हैं / पत्रावली को पक्का कमार होकर नम्बर सेक्शन हो, दाखिल दफ्तर हो / निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया	

उपखण्ड अधिकारी, सीकर